

ग्रामीण सेवा शिविर-2025


पत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी **ठावारी** नायक
मू.अ.नि. **मेहनूरिया** की रिपोर्ट तथा तहसीलदार **रेलमगप**
तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजसमन्द न्यायालय अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसूची में ग्राम **आजगा** तहसील **रेलमगप**
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् **2077** में खाता संख्या **180** में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजसमन्द रिकॉर्ड में अमल
करामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजसमन्द रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	आजगा	180	नाबालिग रेखा पुत्री बड़ी सांठुं सोली हिल्स $\frac{1}{63}$ - M.A. 4. B शाख धनेरिया	नाबालिग रेखा पुत्री बड़ी सांठुं सोली हिल्स $\frac{1}{63}$ - R. 4. B. शाख धनेरिया



उपखण्ड अधिकारी
 पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

दिनांक - 16/10/25

क्रमांक - 368
तिलिपि -

1. तहसीलदार को भेजकर संज्ञ ह कि आदेशानुसार राजसमन्द रिकॉर्ड में अनल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट गिजयावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाएँ।
3. रक्षित पत्रावली।


उपखण्ड अधिकारी
 पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर